

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003802013

दांडिक प्रकरण क.-496 / 2013

संस्थापित दिनांक-28.12.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-शिशुपालसिंह पुत्र तोरनसिंह धोबी आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम बाकलपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री आर एस यादव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 24.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत की धारा 25 बी आर्म्स अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मदनलाल ने दिनांक 19.11.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की, कि दिनांक 19.11.13 कस्बा भ्रमण के दौरान मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी एक लोहे की छुरी लिए अपराध करने की नियत से गाव मे था। मौके पर पहचने पर आरोपी के पास से एक छुरी जप्त की गई जिसे रखने का आरोपी के पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी, तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 435/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 25 बी आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 25 बी आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.11.13 को समय 12 बजे आम रास्ता हेण्डपंप के पास सार्वजनिक स्थान पर ग्राम बांकलपुर में अपने अवैध आधिपत्य मे मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11बी दिनांक 22.11.74 के उल्लंघन में एक छुरी जो कि धारदार थी रखे पाए गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 धर्मेन्द्रसिंह, अ.सा.2 अरविदसिंह, अ.सा.3 मदनलाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर

प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 धर्मेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार वह अपने चाचाजी को घटना दिनांक को थाने छोड़ने गया था तब उसे आरोपी थाने में वहीं मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया था इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने प्र0पी01 एवं प्र0पी02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. अरविन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई थी इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी01 जप्ती पत्रक एवं प्र0पी02 गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर हैं किंतु उसने किस बात के हस्ताक्षर किये थे इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से छुरी जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से छुरी के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपी ने नहीं होना बताया था।

08— अ.सा.3 मदनलाल मरारी ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसे मुखविर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी गांव के हैडपंप के पास छुरी लिये अपराध करने की नियत से खड़ा है। उक्त साक्षी के अनुसार मौके पर पहुंचने पर आरोपी के पास से छुरी जप्त की गई थी जिसे रखने की वैध अनुज्ञप्ति आरोपी के पास नहीं थी। अ.सा.3 के अनुसार छुरी को गवाहों के समक्ष प्र0पी03 के अनुसार जप्त किया गया था तथा आरोपी को प्र0पी02 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को थाना वापसी पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी05 लेखवद्ध की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण ने रवानगी रोजनामचा सान्हा पेश नहीं किया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में जप्तशुंदा छुरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है।

09— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त साक्षीगण में से अ.सा.1 एवं अ.सा.2 पक्षद्रोही हो गये हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा.3 जो कि मामले का विवेचक है उसके द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अ.सा. 3 द्वारा न तो खानगी सान्हा प्रस्तुत किया गया है और न ही वापसी सान्हा प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुंदा छुरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत **मुनीसिंह वि० बिहार राज्य 2006 कि.लॉ.ज. 88** अनुकरणीय है जिसमें यह निश्चित किया गया है कि साक्षीगण के समक्ष उनके परीक्षण के दौरान अग्नि आयुधों को नहीं रखा गया है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही उचित नहीं मानी गई। प्रकरण में एक अन्य न्याय दृष्टांत **म०प्र० राज्य वि० कृष्णकुमार 1997,1म.प्र.वी.नो. 203** भी अनुकरणीय है जिसमें यह अभिमत दिया गया कि वस्तुओं पर प्रदर्श अंकित किये बिना बिधि की दृष्टि में कोई विधिक व्यक्ति होना नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में भी यह स्थिति है और इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विधिक जप्ती प्रमाणित नहीं हो रही है। ऐसी दशा में जबकि विधिक जप्ती प्रमाणित नहीं हो रही है, आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं तथा मात्र पुलिस निरीक्षक की साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 25 बी आर्म्स अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुंदा संपत्ति एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई दस

इंच फल की चौड़ाई करीबन ढाई इंच मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)